प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

(14)

(92)

संख्या– 819 /15–11–2018

श्री शम्भु/श्री सतीश

08/08/18

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11

विषय– निजी संस्थान शिवबली सिंह ग्रुप ऑफ एजूकेशनल एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लाट नं0–877, ग्राम–इटरौरा पिलखनी पोस्ट–मलवॉ, तहसील–बिन्दकी जिला–फतेहपुर को डी0एल0एड0 (वी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निजी संस्थान शिवबली सिंह ग्रुप ऑफ एजूकेशनल एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लाट नं0–877, ग्राम–इटरौरा पिलखनी पोस्ट–मलवॉ, तहसील–बिन्दकी जिला–फतेहपुर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा दो वर्षीय डी0एल0एड0 (वी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी पूर्वतन सैद्धान्तिक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018–19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा जगासार प्रभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा, गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज,

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब–साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रसंगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.03.2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर डी0एल0एड0 (वी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2018–19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या– (1)/35–11–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली: पिन–110002
2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, चौथी मंजिल, जीवन निधि–II एल0आई0सी0 बिल्डिंग, आम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन–302005।
3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, फतेहपुर।
5– सचिव/प्रबन्धक शिवबली सिंह ग्रुप ऑफ एजूकेशनल एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लाट नं0–877, ग्राम–इटरौरा पिलखनी पोस्ट–मलवॉ, तहसील–बिन्दकी जिला–फतेहपुर ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

sr/sambadha GO 2018-19

कार्यालय सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ0सख्याः सम्बद्धता/ 3391–98 /2018–19 दिनांक 15 जून 2018

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, हंस भवन,01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली पिन–110002
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी–7, सेक्टर–10 द्वारका, नई दिल्ली, 110075।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–11, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–11, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशातगंज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर।
8. सचिव/प्रबन्धक, शिवबली सिंह ग्रुप ऑफ एजूकेशनल एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लाट नं0–877, ग्राम–इटरौरा पिलखनी पोस्ट–मलवॉ, तहसील–बिन्दकी, जिला–फतेहपुर।
9. परीक्षा प्रभारी–2018–19।

डॉ0(श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 6/6/18